



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19702

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1112/2026

तनवीर आलम.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:विपुल कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल कुमार और राज्य-विपक्षी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर0एस0 उमराव को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका में एकमात्र प्रार्थना यह की गई है कि रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.07.2025 को प्रतिवादी संख्या-2, कमांडेंट जनरल (होमगार्ड्स) मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत की गई 'तृतीय अपील संख्या – निल/2025' का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. विरोधी पक्षों के तर्कों तथा उनके द्वारा अनाए गए पक्ष पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित प्राधिकारी, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उक्त अपील का निस्तारण करें।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

आशु

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”